भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1201

दिनांक 09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सांविधिक परिषद की स्थापना

1201. एडवोकेट ए.एम.आरिफ:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता दुनिया भर में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक अभिन्न अंग हैं;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश में पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ताओं के कामकाज को सुव्यवस्थित और विनियमित करने के लिए चिकित्सा और नर्सिंग परिषद के बराबर एक वैधानिक परिषद बनाने का इरादा रखती है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है;
(घ) क्या राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने मेडिकल कॉलेजों में पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति निर्धारित की है, यदि हां, तो विभाग-वार निर्धारित पद और निर्धारित योग्यता सहित उसका विवरण क्या है; और
(ड) क्या सरकार ने एनएमसी दिशानिर्देशों के अनुसार देश भर के मेडिकल कॉलेजों में पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति में प्रगति की समीक्षा की है और यदि हां, तो अनुपालन स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ङ): स्वास्थ्य मानव संसाधन से संबंधित सभी प्रशासनिक और कार्मिक मामले संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के पास हैं। तथापि, न्यूनतम मानक अपेक्षाओं (एमएसआर), 2023 के अनुसार, ग्रामीण और शहरी प्रशिक्षण केंद्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान झुकाव के साथ सामाजिक कार्यकर्ता/ एमएसडब्ल्यू के लिए अपेक्षित श्रमशक्ति आवश्यकता को विनिर्दिष्ट किया गया है।

*****